खण्ड-189, अंक-6
शनिवार, 23 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(14 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३९९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
किशोरी रमण सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गया बख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गैरीबदास, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदनारायण तिवारी, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंद सिंह विष्ट, श्री
गौरी राम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराम, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदी लाल, श्री
छोटे लाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहर लाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीका राम पुजारी, श्री
डूगर सिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवी प्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्म पाल सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थू सिंह, श्री (बरेली)
नत्थू सिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री

नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायण दत्त तिवारी , श्री
नारायण दास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रताप भान प्रकाश सिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
वसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू राम, श्री
बाबू लाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुलाकी राम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धी सिंह, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरली धर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोती लाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
उपनाम लाल साहब

रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर राम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रण बहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
राम कुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
राम कृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
राम लाल, श्री
राम बचन यादव, श्री
राम शरण यादव, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
राम सिंह चौहान वैद्य, श्री
राम सुन्दर पान्डेय, श्री
राम सूरत प्रसाद, श्री
राम स्वरूप यादव, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
राम हत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूम सिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंग बिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री

शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्री कृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
होरी लाल यादव, श्री

---

१४ दिसम्बर, १९५७ ई०

१२ दिसम्बर, १९५७ को विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी में हरिजनों के प्रवेश न कर सकने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। वह इस प्रकार है—

"वाराणसी में तारीख १२ दिसम्बर को विश्वनाथ मंदिर प्रवेश करने के निमित्त ३० हरिजनों का एक जत्था गया, मगर सरकार की वर्तमान नीति के कारण हरिजन मंदिर प्रवेश न हो सका। सरकार की इस नीति पर हरिजनों तथा अन्य समता चाहने वाले लोगों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। अतः यह सदन सरकार की उपर्युक्त नीति, जो हरिजनों को मंदिर प्रवेश में बाधा डाल रही है, पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह मामला बहुत दिनों का है और कई दफा उठ चुका है इसमें सरकार की नीति का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सरकार की क्या नयी नीति पैदा हो गयी है। इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं। यह अनिश्चित-सा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जरा मौका दे दीजिये कि मैं बतला सकूं।

श्री अध्यक्ष—मैं सरकार से इतना पूछ सकता हूं कि यह घटना क्या है। इसके बारे में कोई जानकारी सरकार के पास हो, १२ तारीख की घटना की, तो वह सदन को दे दे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, जैसा कि श्रीमान ने निवेदन किया, यह पुराना मामला है । इसका मुकद्दमा चल रहा था, जिसमें अदालत ने कोई इंजंक्शन इश्यू कर के जो मंदिर प्रवेश का आन्दोलन चल रहा था उसको रोक दिया था । अब उन्होंने इंजंक्शन को खारिज कर दिया है, लिहाजा दो दिन हुये कुछ हरिजन भाई विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिये गये और जब उन्होंने फाटक पर पहुंच कर प्रवेश करने की चेष्टा की तो कुछ लोगों ने उनके रास्ते में रुकावट डाली । अब तक जो रिपोर्ट मेरे पास आयी है उससे यह पता लगता है कि रुकावट डालने वाले गिरफ्तार किये गये और उनका समरी ट्रायल हुआ तथा उनको सजा दी गयी । कल फिर कुछ लोग गये थे फिर कुछ लोगों ने रुकावट डाली उनकी गिरफ्तारी का वारन्ट निकाला गया और उनके ऊपर भी वैसा समरी ट्रायल किया जायेगा और कानून के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष---तो उसके लिये समरी ट्रायल जो आपने कराया, उस पर आक्षेप है उनका?

श्री कमलापति त्रिपाठी---शायद इसी के लिये हो ।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) मैंने आपको तो इजाजत ही नहीं दी । क्योंकि अनिश्चित सी बात थी और पुराना मामला चला आ रहा था । मैंने केवल आपकी सूचना के लिये सरकार से पूछा था कि उन्होंने अगर जांच की हो, तो उसकी सूचना दे दें । वह जानकारी आपको हो गयी । इसके बाद जो कुछ कार्यवाही करनी है, वह कीजिये ।

श्री राजनारायण---इसके बाद एक जानकारी अगर मंत्री जी को हो तो करा दें । क्या यह मंत्री जी को मालूम है कि कल से वहां पर तीन, चार सौ हरिजनों का जत्था पड़ा हुआ है ? श्री विश्वमित्र जी उसके संचालक हैं और मैं हरिजन मंदिर प्रवेश कमेटी का अध्यक्ष हूं । मुझे पूरी सूचना है । वह जत्था वहां पड़ा हुआ है और सनातन धर्मी लोगों ने छुरे से वार किया है । जो पुलिस वहां थी, वह हट गयी थी और कल से गिरफ्तारी बिल्कुल बन्द है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं, जैसे विक्टोरिया मूर्ति के लिये पुलिस का घेरा बना दिया था, वैसा ही घेरा बना देती, जिससे कोई सनातनी वहां जा ही न पाये ?

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) आप बैठें । आपने सवाल पूछा उसका जवाब, माननीय गृह मंत्री जी ने जो सूचना उन्हें मिली, उसके आधार पर दे दिया ।

(गृह मंत्री से) आपको उस बात के बारे में जो माननीय राजनारायण जी कह रहे हैं कोई सूचना और है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मुझे जो सूचना मिली कलेक्टर से टेलीफोन करने पर वह यही मिली कि परसों कुछ लोगों को सजायें हुईं और कल कुछ लोग फिर गये थे ७ बजे शाम तक, और उस वक्त जिन लोगों ने रास्ते में रुकावट डाली, मंदिर का दरवाजा बन्द किया उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया जा चुका है और कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है, यह मामला खत्म हो गया ।

भटनी चीनी मिल्स, भटनी, जिला देवरिया के पुराने मजदूरों को न रखने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है :

"लगातार दस वर्ष तक बन्द रहने के पश्चात् भटनी चीनी मिल्स, भटनी, देवरिया अभी चालू हुई है पर प्रबंधकों ने मिल के पुराने ६७८ मजदूरों को काम पर न रख कर नये लोगों से मिल चलाना प्रारम्भ किया है । इस कारण हजारों की रोटी छिन गई है जिससे वहां की जनता में महान् क्षोभ है ।

अतः इससे उत्पन्न विषम तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

यह भी अनिश्चित सा है क्योंकि १० वर्ष तक वह मिल बन्द रही और उसके बाद कब चली, क्या हुआ कुछ प्रस्ताव में नहीं लिखा है। अभी वह पुनः चली है कुछ दिन पहले और मिल के व्यवस्थापकों ने ६७८ पुराने मजदूरों को नहीं रखा यह कहा गया है परन्तु इसके बारे में भी कोई तहकीकात किये बगैर ही यह प्रस्ताव किया गया। इसलिये मैं इसको अनिश्चित करार दे कर इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ पूछूं। सरकार इसको नोटिस मान कर जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष---आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन कीजिये। कामरोको प्रस्ताव का विषय यह नहीं हो सकता ।

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) नियमावली, १९५७†

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) नियमावली, १९५७ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---नियमावली पर विवाद के लिये कुछ समय अगर श्रम मंत्री जी निश्चित करने की कृपा करें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---मैंने एक नियम बना दिया है इस बारे में। यदि अधिनियम में यह दिया हुआ है कि नियमों के ऊपर संशोधन हो सकते हैं और नियम १४ रोज की मियाद के लिये सदन में रखे गये हों तो उस बीच में आप संशोधन अपना मेरे पास भेज दें और फिर समय नियत हो जायगा। लेकिन बगैर संशोधन के कोई खास जरूरत आम बहस की ऐसे ही नहीं मालूम होती।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७[U. P. Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1957] पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री रामजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमको अभी मिला नहीं।

श्री धर्म सिंह---इधर बंट चुका है, आपकी तरफ भी आ रहा है।

श्री अध्यक्ष---अनुमति के बाद पुरःस्थापित कर देंगे ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७ [U. P. Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1957] पुरः स्थापित करने की सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब माननीय वित्त मंत्री उसको पुरःस्थापित करेंगे। पहले आप विधेयक बंटवा दीजिये तब पुरःस्थापित कीजिये।

---

†छापी नहीं गयीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जरा इस व्यवस्था पर निवेदन करना है कि जब तक विधेयक को पढ़ेंगे नहीं तब तक पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा क्यों दी जाय ? आइंदा के लिये आप हिदायत दें कि पहले बांट दिया जाया करे ।

श्री अध्यक्ष---आप को एक मौका और होगा जब विचार करने का प्रस्ताव सामने होगा ।

श्री राजनारायण---वह तो है ही लेकिन मैं आगे के लिये कह रहा हूं कि पुरःस्थापित करने के पहले बांट दिया करें ।

श्री धर्म सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९० पर)

विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन में भाग लेने के हेतु सदन को स्थगित करने की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष---माननीय त्रिलोकी सिंह, नेता विरोधी दल, ने कुछ अपना सुझाव दिया है । उनको जो कुछ कहना है वे कह सकते हैं ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आज सदन की बैठक स्थगित की जाय । मैं एक मिनट में इस सम्बन्ध में यह भी अर्ज कर दूं कि अभी दो दिन पूर्व ही यह सदन प्रस्ताव कर चुका है कि आज बैठक होगी और इस प्रस्ताव के बाद मेरा ऐसा निवेदन करना साधारण तौर पर मुनासिब नहीं मालूम होगा । लेकिन इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को ज्ञात है कि आज कौंसिल का चुनाव है जिसमें इस सदन के जितने भी सदस्य हैं उन्हीं को वोट देना है । साधारण तौर पर जब इस तरह का चुनाव होता है तो छुट्टी होती हैं । यहां हम ही एलेक्टोरेट हैं । तो जो तवज्जह होनी चाहिये इस सदन की सेवा करने में, मुझे भय है वह नहीं हो पायेगी । मैं इस सम्बन्ध में यह भी आपको बतला दूं कि मैंने उपनेता सदन जो इस समय उपस्थित हैं उनकी रजामन्दी इस सम्बन्ध में हासिल भी कर ली है, उनको कोई आपत्ति न होगी, अगर सदन आज अपनी बैठक को स्थगित कर दे । लिहाजा मेरा यह निवेदन है कि आज यह सदन स्थगित कर दिया जाय ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---एक बात अर्ज करूं जनाब से जिस वक्त हमारे मोअज्जि भाई ने मुझसे बातचीत की थी उस वक्त मेरे ध्यान में यह बात नहीं थी कि यह रिजोल्यूशन इस हाउस में पास हो चुका था । मैं अब भी किसी एतराज के लिये अर्ज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं गुजारिश करूंगा कि जो आपका इरशाद है उस पर हम रजामन्द हो जायं और वह हो जाय तो उसका कोई प्रिसिडेंट न करार दे दिया जाय ।

श्री त्रिलोकी सिंह---मुझे तसलीम है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कोई प्रथा तो इससे कायम होती नहीं है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---तो ठीक है । मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, चूंकि यह प्रस्ताव हो चुका था और किसी को विरोध नहीं है इसलिये मैं इसको सदन की राय के लिये रखे देता हूं ।

किसी को कोई विरोध तो नहीं है ।

(कोई विरोध नहीं किया गया ।)

तो आज का कार्य समाप्त होता है अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ११ बजकर १५ मिनट पर सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१४ दिसम्बर, १९५७ ।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७

कतिपय प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह १४ दिसम्बर, १९५७ से प्रचलित समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ में नयी धारा ७-ङ का समावेश ।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ७-घ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ७-ङ के रूप में रख दिया जाय :

"७-ङ—विज्ञापित माल के सम्बन्ध में बिक्री-कर के स्थान पर राजीनामे के शुल्क (Composition fee) का भुगतान—(१) इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, कर-निर्धारक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विज्ञापित माल अथवा माल के किन्हीं वर्गों के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को किसी कर-निर्धारण वर्ष अथवा उसके अंश के विक्रय-धन पर इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर के स्थान पर राजीनामे (Composition) के रूप में एक मुश्त धनराशि ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जो इस सम्बन्ध में विज्ञापित किये जायं, देने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(२) जब इस धारा की उपधारा (१) के अधीन कोई विज्ञप्ति प्रचारित की जाय तो राज्य सरकार उस रीति को भी जिससे राजीनामे की धनराशि निश्चित की जायगी तथा उस रीति को जिससे वह दी जायगी, विज्ञापित करेगी ।"

उद्देश्य तथा कारण

१३ दिसम्बर, १९५७ को व्यापार बन्द होने के बाद से कपड़े, शक्कर तथा तम्बाकू पर अतिरिक्त सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाने के कारण इन तीन वस्तुओं पर से बिक्री-कर हटा लिया गया है । उन स्टाकों पर जिन पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी नहीं दी गई है बिक्री-कर निर्धारित किया जाता रहेगा । उन व्यापारियों को, जिनके पास ऐसे स्टाक होंगे सुविधा प्रदान करने, तथा ऐसे स्टाकों पर कर की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि उन स्टाकों के सम्बन्ध में जिन पर अतिरिक्त ड्यूटी न लगी हो, कर सम्बन्धी राजीनामे की व्यवस्था की जा सके ।

अतएव, यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २१६ एल० ए०—१९५८—७९६ ।